न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–108 / 2022 दायर दिनांक: 16.6.2022
CMS NO:- 2022/186 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

राधाकिशन आ0 छीतर जाति धाकड नि0 कांकरिया तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थी

बनाम

1. कमलेश आ0 औंकार जाति धाकड नि0 कांकरिया हाल नि0 अल्लापुरा तहसील उनियारा।
2. कमला बाई पुत्री औंकार जाति धाकड नि0 कांकरिया हाल पत्नी राधेश्याम जाति धाकड नि0 चौथ का बरवाडा जिला स0माधोपुर।
3. गीताबाई पुत्री औंकार जाति धाकड नि0 कांकरिया हाल पत्नी प्रहलाद जाति धाकड नि0 चावण्डपुरा तहसील नैनवॉ।
4. गोविन्द आ0 औंकार जाति धाकड नि0 अल्लापुरा तहसील उनियारा।
5. गोपी आ0 औंकार जाति धाकड नि0 अल्लाहपुरा तहसील उनियारा।
6. प्रेमबाई पुत्री औंकार जाति धाकड नि0 कांकरिया हाल पत्नी बृजमोहन जाति धाकड नि0 फतेहगंज तहसील नैनवॉ।
7. मदन आ0 औंकार जाति धाकड नि0 अल्लाहपुरा तहसील उनियारा।
8. रामसहाय आ0 छीतर जाति धाकड नि0 कांकरिया तहसील नैनवॉ।
9. भूली बाई पत्नी औंकार जाति धाकड नि0 अल्लापुरा तहसील उनियारा।
10. शंभू आ0 चौथमल जाति ब्राह्मण नि0 कांकरिया तहसील नैनवॉ।
11. श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ।
12. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बून्दी।

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।
अप्रार्थी सं 4 की ओर से वकील श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 14.05.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम कांकरिया प.म. कैथुदा की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 87 की भूमि खसरा नम्बर 76 रकबा 4.3039 हैक्टयर स्थित है, का मौके पर आपसी सहमति से बंटवारा हो रहा है। बंटवारे अनुसार प्रार्थी उक्त भूमि मे अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर कृषि काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी अपने हिस्से के खातेदारी भूमि पर आम रास्ता ग्राम कांकरिया से कैथुदा जाने वाला खसरा नम्बर 130 पर होता हुआ चारागाह भूमि खसरा नम्बर 129 मे होता हुआ अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 76 पर पहुंचता है तथा वर्षो से इसी रास्ते से होकर अपनी भूमि पर कृषि यंत्रों व जानवरों को लाने ले जाने के काम मे शांति पूर्वक बदस्तुर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी के हिस्से की भूमि व रास्ते को लाल स्याही से परिशिष्ट अ मे दर्शाया गया है। कुछ समय पूर्व अप्रार्थी संख्या 10 शंभू ने प्रार्थी के रास्ते मे आने वाली चारागाह भूमि को जबरन फाड कर कब्जा कर लिया तथा प्रार्थी के रास्ते को बंद कर दिया जिससे प्रार्थी का अपनी भूमि पर आना जाना बंद हो गया है। दिनांक 30.5.2025 को प्रार्थी अपनी भूमि को देखने गया तो अप्रार्थी शंभू प्रार्थी से कहने लगा कि तू आज तो यहां होकर आ गया है किन्तु आज के बाद यहां से होकर मत आना, यह कोई रास्ता नही है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र नागर द्वारा वकालातनामा प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा रास्ता देने बाबत् कोई आपत्ती नही होना स्वीकार किया तथा अप्रार्थी संख्या 11 तहसीलदार नैनवॉ द्वारा दिनांक 18.3.2024 से रिपोर्ट पेश की गयी।

हमने प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा जिस खसरा नम्बर 76 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह पक्षकारान की

शामलाती भूमि है। पक्षकारान प्रकरण मे सहखातेदार के रूप मे दर्ज है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैनवा